प्रेषक,

कमलेश कुमार,
उपसचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ:दिनांक 24 नवम्बर, 2025

विषय:- केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी लालता यादव पुत्र श्री हरपाल यादव, निवासी जनपद-उन्नाव की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उप महानिरीक्षक (मु0), कारागार के पत्र संख्या-16636/प्रोबेशन-3-फार्म-ए/(एम-01.05.2023), दिनांक-19.05.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी लालता यादव पुत्र श्री हरपाल यादव ग्राम-वादुल्लाखेड़ा, थाना-आसीवन, जनपद-उन्नाव का निवासी है। बंदी ने दिनांक 09.02.2001 से दिनांक 12.02.2001 के मध्य घर से ले जाकर घनश्याम की हत्या कर दी तथा दिनांक 12.02.2001 को घनश्याम की पत्नी व बेटी को बहाने से ले जाकर बलात्कार किया तथा दिनांक 17.02.2001 को घनश्याम की पत्नी रामवती की मुंह और गला दबाकर हत्या की घटना कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु सिद्धदोष बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-346/04 में भा0द0वि0 की धारा-364, 376, 302, 201, 342 के अन्तर्गत मा० न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश/एफटीसी-6, हरदोई के आदेश दिनांक 13.07.2007 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी की अपील मा० उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। 2-पुन: बंदी को मुकदमा संख्या 1137, धारा-3/25 आर्म्स एक्ट में मा० अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट संख्या-1, उन्नाव द्वारा 03 वर्ष के कारावास से दण्डित किया। बंदी द्वारा दिनांक 10.02.2023 तक अपरिहार 20 वर्ष, 06 माह, 21 दिन तथा 25 वर्ष, 02 माह, 16 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है।

3- जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, गोण्डा द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी के पुन: अपराध करने मे अशक्त नही होने, भविष्य में पुन: अपराध करने की सम्भावना होने, बंदी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने, परिवार की सामाजिक आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने की आख्या अंकित करते हुये बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। जिला मजिस्ट्रेट, उन्नाव द्वारा बंदी का अभिभावक उपयुक्त पाया गया है किन्तु समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

4- प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बंदी ने दिनांक 09.02.2001 से दिनांक 12.02.2001 के मध्य घर से ले जाकर घनश्याम की हत्या कर दी तथा दिनांक 12.02.2001 को घनश्याम की पत्नी व बेटी को बहाने से ले जाकर बलात्कार किया तथा दिनांक 17.02.2001 को घनश्याम की पत्नी रामवती की मुह और गला दबाकर हत्या कारित की गयी। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-**2** के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी लालता यादव पुत्र हरपाल यादव को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

5- उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी लालता यादव(बन्दी संख्या-25887) पुत्र श्री हरपाल यादव, निवासी जनपद-उन्नाव के फार्म-ए/लाईसेंस पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट,1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए/लाईसेंस पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

संख्या- 1397/2025/2376(1)/22-2-2023 एवं तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन।
2- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन।
3- जिला मजिस्ट्रेट, उन्नाव।
4- अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़।
5- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रिमि0) संख्या-529/2021 सोनाधर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य तथा सुओ मोटो रिट पिटीशन (क्रिमि0) संख्या-04/2021 पॉलिसी स्ट्रेट्जी फार ग्रान्ट ऑफ बेल में मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.09.2024 के सन्दर्भ में।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनुसचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-1397/2025/2376/22-2-2023-17(1823)/2022

दिनांक: 24 नवम्बर, 2025 का संलग्नक

केन्द्रीय कारागार फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी लालता यादव पुत्र श्री हरपाल यादव ग्राम-वादुल्लाखेड़ा, थाना-आसीवन, जनपद-उन्नाव का निवासी है। बंदी ने दिनांक 09.02.2001 से दिनांक 12.02.2001 के मध्य घर से ले जाकर घनश्याम की हत्या कर दी तथा दिनांक 12.02.2001 को घनश्याम की पत्नी व बेटी को बहाने से ले जाकर बलात्कार किया तथा दिनांक 17.02.2001 को घनश्याम की पत्नी रामवती की मुंह और गला दबाकर हत्या की घटना कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु सिद्धदोष बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-346/04 में भा0द0वि0 की धारा-364, 376, 302, 201, 342 के अन्तर्गत मा० न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश/एफटीसी-6, हरदोई के आदेश दिनांक 13.07.2007 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी की अपील मा० उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। 2-पुन: बंदी को मुकदमा संख्या 1137, धारा-3/25 आर्म्स एक्ट में मा० अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट संख्या-1, उन्नाव द्वारा 03 वर्ष के कारावास से दण्डित किया। बंदी द्वारा दिनांक 10.02.2023 तक अपरिहार 20 वर्ष, 06 माह, 21 दिन तथा 25 वर्ष, 02 माह, 16 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है।

जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, गोण्डा द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी के पुन: अपराध करने मे अशक्त नही होने, भविष्य में पुन: अपराध करने की सम्भावना होने, बंदी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने, परिवार की सामाजिक आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने की आख्या अंकित करते हुये बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। जिला मजिस्ट्रेट, उन्नाव द्वारा बंदी का अभिभावक उपयुक्त पाया गया है किन्तु समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बंदी ने दिनांक 09.02.2001 से दिनांक 12.02.2001 के मध्य घर से ले जाकर घनश्याम की हत्या कर दी तथा दिनांक 12.02.2001 को घनश्याम की पत्नी व बेटी को बहाने से ले जाकर बलात्कार किया तथा दिनांक 17.02.2001 को घनश्याम की पत्नी रामवती की मुह और गला दबाकर हत्या कारित की गयी। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-**2** के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी लालता यादव पुत्र हरपाल यादव को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा बंदी की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

कमलेश कुमार
उप सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in